

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(24)नविवि / 3 / 2003

जयपुर, दिनांक:

20 JAN 2014

1. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, नगर सुधार न्यास(समस्त), राजस्थान।

विषय:- प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान विविध छूट दिए जाने हेतु वित्त विभाग
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान वित्त विभाग द्वारा
जारी की गयी निम्न अधिसूचनाएं सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित हैं :-

1. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-82 दिनांक 03.01.2014 - धारा 90-ए/90-बी के
अन्तर्गत नगर निकायों में निहित भूमि का नगर निकायों द्वारा आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पहुंचे के
पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में छूट बाबत्।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-83 दिनांक 03.01.2014 - नगर निकायों या सरकार के
विलेखों के पुर्णवैध एवं पुनः निष्पादित होने के बाद पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में छूट बाबत्।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-84 दिनांक 03.01.2014 - नगर निकायों या सरकार के
अन्य निकायों/उपकरणों द्वारा आवंटित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में अवधिपार निष्पादित
पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क में छूट बाबत्।
4. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(70)वित्त/कर/12-85 दिनांक 03.01.2014-राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि
के गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) 2012 के अन्तर्गत दिये जाने वाले
शपथ-पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान छूट बाबत्।
5. अधिसूचना क्रमांक एफ.2(19)एफ.डी./टैक्स/2007-86 दिनांक 03.01.2014-नगरीय निकायों द्वारा आवंटित
एवं विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के अमुद्रांकित तथा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर हस्तान्तरण
किये जाने पर अन्तिम केता के नाम लीज डीड जारी होने की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी में छूट बाबत्।

भवदीय,

Sh

(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त
अधिसूचनाएं समस्त संबंधित को प्रेषित कराने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय
3/25/111

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 03.01.2014

अधिसूचना


राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय छोने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपकम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन के लिए निर्धारित सम्यावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपकमों से पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2014 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेखों या लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:-

क्र.सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को समिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।

परन्तु उक्तानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी दिनांक 31.01.2014 तक संबंधित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जारी विलेखों/लिखतों पर ही लागू होगी तथा संबंधित निकाय द्वारा आवश्यक रूप से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करना होगा अथवा विलेखों/लिखतों पर पस्तांकन करना होगा कि ऐसा विलेख/लिखत दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही जारी किया गया है।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-83)

राज्यपाल के आदेश से


(अदित्य पारिक)
रांयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राज्यपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान राजकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 03.01.2014


अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त राकृताओं का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा आदेश देने है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन भण्डल, जयपुर विकास ग्रामिकरण, जोधपुर विकास ग्रामिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज बण्डी एवं भण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपकम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थायर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प इयूटी घटाकर दिनांक 31.03.2014 तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:-

क्र.सं.	विवरण	देय स्टाम्प इयूटी	
		1	2
1.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से।	3
2.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।	2
3.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।	1

परन्तु उक्तानुसार देय स्टाम्प इयूटी दिनांक 31.01.2014 तक संबंधित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जारी विलेखों/लिखतों पर ही लागू होगी तथा संबंधित निकाय द्वारा आवश्यक रूप से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करना होगा अथवा विलेखों/लिखतों पर पृष्ठांकन करना होगा कि ऐसा विलेख/लिखत दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही जारी किया गया है।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-84)
राज्यपाल के आदेश से,


(आदित्य पाणीक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव


राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 03.01.2014

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप-नियम (1) या नियमितिकरण के लिए नियम 16 के उप-नियम (1) के अधीन दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प इयूटी में छूट प्रदान करती है।

(सं.एफ.2(70)वित्त / कर / 12-85)
राज्यपाल के आदेश से,


(आदित्य पारीक)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल मिजवाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) मठोदया।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

Jaipur, dated: 03.01.2014

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on every intermediary unregistered and unstamped instrument of transfer of immovable property executed after allotment/sale by Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trust, Municipal Corporation, Municipal Council or Municipal Board, shall be reduced and charged on amount of original allotment instead of market value of the property, on the following conditions that:-

- (1) the leaseholder along with his lease deed shall submit a certificate before the Registering Officer issued by any of the above mentioned local authority stating therein the amount of original allotment, the number of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property;
- (2) the Registering Officer shall ensure payment of above reduced stamp duty on every such intermediary unregistered and unstamped instrument before registering the lease deed; and
- (3) on the basis of such intermediary unregistered and unstamped instrument the lease deed shall be executed and submitted for registration upto 31.03.2014.


Provided that the concerned lease deed has been issued on the basis of the application received upto 31.01.2014 and a certificate to this effect has been issued by the concerned Urban Local Body.

[No.F.2(19)FD/Tax/2007-86]
By order of the Governor,


(Aditya Pareek)
Joint Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(C) of extra ordinary gazette. Along with a soft copy in CD. It is requested 10 copies of this notification may sent to this department and 20 copies along with bill may be sent to Inspector General, Registration & Stamps, Raj. Ajmer. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy provided to you for publication.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance Minister). Raj., Jaipur.
3. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
4. Principal Secretary, UDH and LSG Department, Raj., Jaipur.
5. Inspector General, Registration & Stamps, Rajasthan, Ajmer.
6. PS to Pr. Secretary, Finance Department.
7. PS to Pr. Secretary, Revenue Department
8. PS to Pr. Secretary, Law Department
9. PS to Secretary, Finance (Rev.) Department.
10. Director, Public Relation Department, Raj., Jaipur.
11. System Analyst, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
12. Guard File.



Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 03.01.2014


अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना सभीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा 90बी के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुसंगत विधि/नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 31.03.2014 तक कराने की स्थिति में, स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगी:-

- यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/- रुपये देय होगी।
- यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, व्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
- उपरोक्त निकायों के द्वारा नियमन उपरान्त आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 31.03.2014 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख/लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, व्याज, पैनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।


परन्तु उक्तानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी दिनांक 31.01.2014 तक संबंधित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जारी पट्टों पर ही लागू होगी तथा संबंधित निकाय द्वारा आदश्यक रूप से इस आशय का प्रमाण एवं जारी करना होगा अथवा पट्टे पर पृष्ठांकन करना होगा कि ऐसा पट्टा दिनांक 31.01.2014 तक प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही जारी किया गया है।

(मं पाठ ७(८)पाँड जी, / श्रीमा, / १३-०८)
राज्यपाल के जायेश से,


(आदित्य पांडित)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियाँ इस विभाग को तथा 20 प्रतियाँ महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को भय बिल भिजाने की व्यवस्था करावे।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव